मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनाँक: निर्णय दिनाँक: अवधि:
01/29/18 01/18/21 2 वर्ष, 11 माह, 20 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या-35/2018

1. श्रीमती सोनम गुप्ता पत्नी स्व. सौरभ गुप्ता उम्र 26 वर्ष
2. कैलाश नारायण गुप्ता पुत्र काशी प्रसाद उम्र 73 वर्ष
3. श्रीमती सोना देवी पत्नी कैलाश नारायण गुप्ता उम्र 70 वर्ष
4. कु. आशा देवी पुत्री कैलाश नारायण गुप्ता उम्र 38 वर्ष

निवासीगण मोहल्ला रामनगर तहसील गरौठा जिला झाँसी

-----याचीगण

प्रति

1. रोहित शिवहरे पुत्र स्व. नाथूराम शिवहरे नि. पहाड़ी चुंगी मेन रोड़ चिरगाँव जिला झाँसी उ.प्र.
.....मालिक स्कॉर्पियो नं. UP 93 W 0371
2. सुनील तिवारी पुत्र दयाशंकर नि. 238, चिरगाँव जिला झाँसी उ.प्र.
.....चालक स्कॉर्पियो नं. UP 93 W 0371
3. नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. जरिए प्रबन्धक नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. इलाईट सिनेमा के पीछे सिविल लाईन, झाँसी उ.प्र.
.....बीमा कम्पनी स्कॉर्पियो नं. UP 93 W 0371

-----विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री महेन्द्र विश्वकर्मा
विपक्षी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता- श्री राकेश चन्द्र साहू
विपक्षी सं. 3 के अधिवक्ता- श्री एस.सी. गुप्ता

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में सौरभ गुप्ता की मृत्यु के कारण ₹77,50,000 क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनाँक 15.12.2017 का याचीगण के क्रमशः पति, पुत्र एवं भाई मोटरसाईकिल से झाँसी से गरौठा घर वापस आ रहे थे। जैसे ही वह टहरौली गुरसराय मार्ग पर मैगाँव तिगैला के पास पहुँचे तभी पीछे से स्कॉर्पियो नं. UP 93 W 0371 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाते हुये आया और सौरभ गुप्ता की मोटर साईकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे सौरभ गुप्ता व दीपेन्द्र गम्भीर रूप से घायल हो गये। सौरभ गुप्ता की हालत गम्भीर होने के कारण उसे उपचार हेतु झाँसी मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहाँ दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। सौरभ गुप्ता एरच रेलवे स्टेशन पर प्वाइन्ट मैन के पद पर कार्यरत था, जिससे उसे ₹30,000 प्रतिमाह वेतन मिलती थी एवं दिनाँक 16.11.2016 से 16.11.2017 तक उसने ए.एस.एम. की चन्दोसी ट्रेनिंग सेन्टर में ट्रेनिंग ली, उसके बाद नियुक्ति ही शेष थी। नियुक्ति के उपरान्त मृतक सौरभ गुप्ता का लगभग ₹60,000 प्रतिमाह वेतन मिलती जिससे वह अपने परिवार का अच्छी तरह भरण-पोषण करता क्योंकि मृतक ही परिवार का एक मात्र कमाने वाला सदस्य था और भविष्य में वह नौकरी में प्रोन्नत होकर अच्छे पद पर पर आसीन होता व अच्छी वेतन प्राप्त करता। दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना टहरौली में मृतक के भाई संजय गुप्ता द्वारा दिनाँक 16.12.2017 को उक्त स्कॉर्पियों के चालक के विरूद्ध दी गई और फिर वह अपने मृतक भाई के अन्तिम संस्कार, अस्थियाँ विसर्जन व अन्य संस्कार में व्यस्त रहने के कारण अपनी रिपोर्ट लेने नहीं जा सके। बाद में गया तो पता चला कि उसकी रिपोर्ट पुलिस ने नहीं लिखी। उसके बाद उसने तुरन्त दिनाँक 31.12.2017 को पुनः थाना टहरौली में प्रश्नगत वाहन के चालक के विरूद्ध तहरीर दी व मुकदमा पंजीकृत कराया।

3. विपक्षी सं. 1 रोहित शिवहरे व विपक्षी सं. 2 सुनील तिवारी, जो कि प्रश्नगत स्कॉर्पियो नं. UP 93 W 0371 के क्रमशः पंजीकृत स्वामी व चालक हैं, ने 20 बी संयुक्त जवाबदावा दाखिल किया है जिसमें उन्होंने याचिका के कथनों से इन्कार किया है तथा मुख्य रूप से यह अभिकथन किये हैं कि उनका उक्त वाहन नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. झाँसी के द्वारा दुर्घटना के समय पर सभी दायित्वों के लिए बीमित था। दुर्घटना के समय उक्त वाहन को विपक्षी सं. 2 चालक चला रहा था, जिसे वाहन चालाने का काफी अनुभव प्राप्त है तथा उसे आर.टी.ओ. झाँसी द्वारा वैध ड्राईविंग लाइसेंस जारी किया गया है, जो दुर्घटना के दिनाँक को वैध व प्रभावी था।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.21 15:35:33 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

उत्तरदातागण के उक्त वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। यदि राय अदालत क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी पायी जाती है तो बीमा शर्तों के अनुसार उसके अदायगी की जिम्मेदारी विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी की होगी।

4. विपक्षी सं. 3 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्रश्नगत स्कॉर्पियो नं. UP 93 W 0371 की बीमा कम्पनी की ओर से 30 बी जवाबदावा दाखिल किया गया है, जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी में दिये गये प्राविधानों व शर्तो एवं लिये गये प्रीमियम के अनुसार ही होता है अन्यथा नहीं। तथाकथित प्रश्नगत ट्रक स्कार्पियो के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था तथा वह एम.वी. एक्ट व बीमा पॉलिसी की शर्तों के विरूद्ध अवैधानिक रूप से वाहन चला रहा था तो ऐसी दशा में विपक्षी सं. 2 बीमा कम्पनी का क्षतिपूर्ति अदा किये जाने का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। याचिका से स्पष्ट है कि मोटर साईकिल चालक बिना आने-जाने वाले वाहन की परवाह किये हुये अचानक रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर तेजी से मोटर साईकिल चलाकर निकला तभी दुर्घटना होना संम्भव है अन्यथा नहीं। इस तरह पूरी गलती मोटर साईकिल चालक की है, अल्टरनेटिव में सह नेग्लीजेंस का केस है।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 01.08.2019 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

1. क्या दिनाँक 15.12.2017 को जब याचीगण के पति, पुत्र एवं भाई मोटर साईकिल से झाँसी गरौठा घर वापस आ रहे थे, जैसे ही वह टहरौली गुरसरॉय मार्ग पर मैगॉव तिगैला के पास पहुँचे तो पीछे से स्कॉर्पियो नंबर UP 93 W 0371 के चालक तेजी व लापरवाही से चलाते हुये आया और मृतक की मोटर साईकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे सौरभ गुप्ता व दीपेन्द्र गम्भीर रूप से घायल हो गये तथा दौरान उपचार सौरभ गुप्ता की मृत्यु हो गयी ?

2. क्या बावक्त घटना उक्त वाहन मोटर साईकिल नं. UP 93 AL 3508 के चालक के पास वैध प्रभावी डी.एल. था ? यदि हॉ तो उसका प्रभाव ?

3. क्या बावक्त घटना उक्त वाहन स्कॉर्पियो नंबर UP 93 W 0371 विपक्षी सं. 3 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से बीमित था ?

4. क्या कथित घटना में तथाकथित मोटर साईकिल चालक/मृतक सौरभ गुप्ता की योगदायी उपेक्षा एवं लापरवाही रही है, यदि हाँ तो कितने प्रतिशत ?

5. क्या याचीगण कोई प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हाँ तो कितनी व किस विपक्षी से ?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याचीगण की ओर से

अभिलेखीय

1. फेहरिस्त 7 सी1 के माध्यम से 8 सी1/1 लगायत 12 सी1 प्रपत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी की छाया प्रतियाँ तथा 12 सी1 लगायत 13 सी1/4 आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ भी शामिल हैं, जिनका उल्लेख उक्त फेहरिस्त में नहीं है।

2. फेहरिस्त 33 सी1 के माध्यम से 34 सी1/1 लगायत 38 सी1 प्रपत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, नक्शा नजरी की सत्य प्रतिलिपियाँ व मृतक सौरभ गुप्ता की असल वेतन पर्ची शामिल हैं।

3. फेहरिस्त 31 सी1 के माध्यम से 32 सी1/1 लगायत 32 सी1/3 मृतक सौरभ गुप्ता के पंचायतनामा की छाया प्रति व 34 सी1 मृतक के हाई स्कूल परीक्षा के अंक पत्र की छाया प्रति

मौखिक साक्ष्य

पी.डब्लू.1 सोनम गुप्ता याची सं. 1 मृतक की पत्नी, पी.डब्लू.2 दीपेन्द्र सिंह मौके का साक्षी जिसे भी दुर्घटना में चोटे आना अभिकथित है।

विपक्षीगण की ओर से-

अभिलेखीय साक्ष्य

1. विपक्षीगण सं. 1 व 2 की ओर से फेहरिस्त 21 सी1 से 22 सी1 लगायत 24 सी1 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं, जिनमें पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी व ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

2. विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी की ओर से फेहरिसत 40 सी1 से 41 सी1 लगायत 41 सी1/7 मूल अन्वेषण आख्या मय 4 किता फोटोग्राफ, बीमा पॉलिसी व अखबार की छाया प्रति दाखिल किये गये हैं।

मौखिक साक्ष्य

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है,

इसके अतिरिक्त दिलराज सिंह, कार्यालय अधीक्षक (कार्मिक शाखा), म. रे. प्रबन्धक झाँसी की ओर से मृतक सौरभ गुप्ता के वेतन पत्रक माह नवम्बर 2017 की प्रमाणित छाया प्रति व सेवा पंजिका की प्रमाणित छाया प्रति दाखिल की गई हैं।

7. मैंने याचीगण व विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी, बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस व प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया। विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता दौरान बहस उपस्थित नहीं हुए।

8. निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1 व 4

वाद बिन्दु सं. 1 व 4 को साबित करने के लिये याचीगण की ओर से 34 सी1/1 लगायत 34 सी1/3 **प्रथम सूचना रिपोर्ट**, 35 सी1/1 लगायत 35 सी1/3 **आरोपपत्र,** 36 सी1/1 लगायत 36 सी1/8 **पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मृतक सौरभ गुप्ता,** 37 सी1 लगायत 37 सी1/2 **नक्शा नजरी** की प्रमाणित प्रतियाँ एवं **32 सी1/1 लगायत 32 सी1/3 मृतक सौरभ गुप्ता के पंचायतनामा** की छाया प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की गयीं हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.1 सोनम गुप्ता याची सं. 1 मृतक की पत्नी, पी.डब्लू.2 दीपेन्द्र सिंह चक्षुदर्शी साक्षी जिसे भी दुर्घटना मे चोटें आना बताया गया है, को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू.1 मौके की साक्षी नहीं है किन्तु उसने अपनी साक्ष्य में याचिका के कथनों का समर्थन किया है। पी.डब्लू.2 दीपेन्द्र सिंह जो कि कथित मोटर साइकिल पर मृतक सौरभ गुप्ता के साथ कथित दुर्घटना के समय जाना बताया जा रहा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि यह घटना दिनाँक 15.12.2017 समय करीब 6:30 बजे शाम टहरौली गुरसरॉय मार्ग मैगॉव तिगैला के पास की है। वह और मृतक सौरभ गुप्ता मोटर साईकिल से झाँसी से गरौठा वापस जा रहे थे। मोटर साईकिल को सौरभ गुप्ता धीमी गति व बायीं साईड से चला रहा था कि तभी एक स्कॉर्पियो नं. UP 93 W 0371 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटर साईकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे सौरभ गुप्ता गम्भीर रूप से घायल हो गये। उन्हें उपचार हेतु झाँसी मेडिकल कॉलेज लाया गया जहाँ पर दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गयी थी। दुर्घटना में उसे भी चोटें आयीं थीं। उसने दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी, लेकिन थाना टहरौली पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। यह घटना उसके सामने घटित हुई थी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव से इंकार किया है कि मोटर साईकिल चालक तेजी व लापरवाही से मोटरसाईकिल चला रहे थे और अचानक रोड के दूसरी तरफ को मुड़े जिससे कि अन्य वाहन से चुटैल हुये। उसने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि स्कॉर्पियो से कोई टक्कर न हुई हो। इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है किन्तु इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभास नहीं आया है जिससे की इस साक्षी की साक्ष्य पर सन्देह किया जा सके।

9. बीमा कंपनी की ओर से बचाव में मुख्य रूप से दो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। प्रथम यह कि चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से है और पिलियन राइडर के चोट आने का कोई चिकित्सीय प्रमाण नही है अतः आफ्टर थॉट है और साक्षी व वाहन रोपित किए गए हैं। द्वितीय यह कि समाचार पत्र मे आमने-सामने की टक्कर बताई गयी है अतः यह योगदाई उपेक्षा का मामला है।

10. पत्रावली पर दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत दुघर्टना के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के भाई संजय कुमार गुप्ता पुत्र कैलाश नारायन गुप्ता द्वारा दुर्घटना की रिपोर्ट दिनाँक 31.12.2017 को स्कॅर्पियो नं. UP 93 W 0371 के चालक अज्ञात के विरूद्ध अंकित कराई है जिसमें 16 दिन का विलंब है। इस विलंब का कारण संजय कुमार ने थाने पर दी गई अपनी तहरीर मे यह बताया है कि भाई के अन्तिम संस्कार, अस्थि विसर्जन व क्रिया कर्म त्रियोदशी व शोक में रहने के कारण समय से सूचना देने नहीं आ सका। याचिका में यह अभिकथित किया गया है कि थाना टहरौली में मृतक के भाई संजय गुप्ता द्वारा दिनाँक 16.12.2017 को स्कॉर्पियो नंबर UP 93 W 0371 के चालक के खिलाफ लिखित तहरीर दी। संजय गुप्ता को परीक्षित नहीं किया गया है अतः यह स्पष्ट नहीं है कि दिनाँक 16.12.2017 को संजय गुप्ता द्वारा थाने पर तहरीर दी गई अतः विलंब के कारण यह संदेह उत्पन्न होता है कि हो सकता है कि स्कॉर्पियो व चक्षुदर्शी पी.डब्ल्यू.2 को रोपित किया गया हो किंतु चूँकि इस साक्षी की प्रति परीक्षा में ऐसी कोई तात्विक विसंगति स्पष्ट नहीं हुई

है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि यह साक्षी चक्षुदर्शी नहीं है या हितबद्ध है या अविश्वसनीय है। इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा मे इसके इलाज का पर्चा न होने की वजह नही पूछी गई है। ऐसा भी कोई प्रश्न नही किया गया है कि उसको कितनी चोट आयी थी। यह संभव है कि उसे इलाज कराने लायक चोट न आयी हो और इसी वजह से उसके पास इलाज का पर्चा न हो। इस साक्षी द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना भी संभव नही कि जब पुलिस मौके पर आ गई थी तो रिपोर्ट दिनाँक 31.12.17 को क्यों लिखी गई। अतः उक्त संदेह मात्र संदेह ही रह जाता है। यह साक्षी आरोपपत्र का साक्षी है और पुलिस ने इस से पूछताछ की है। विधि व्यवस्था रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011-SC): **MANU/SC/0133/2011** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है, जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिये एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा -20 और 21]। आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण की उपरोक्त घटना में विवेचक ने स्कॅर्पियो नं. UP 93 W 0371 के चालक सुनील तिवारी (विपक्षी सं.2) को अभियुक्त बनाया है तथा उसके विरूद्ध धारा 279, 304ए, 337 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोपपत्र दाखिल किया है। प्रपत्र संख्या 31सी1 नक्शा नजरी की प्रमाणित प्रति भी याचीगण की ओर से पत्रावली पर दाखिल की गई है जिसमें विवेचक द्वारा A बिन्दु से घटना स्थल को दर्शित किया गया है जो निम्न प्रकार है:-

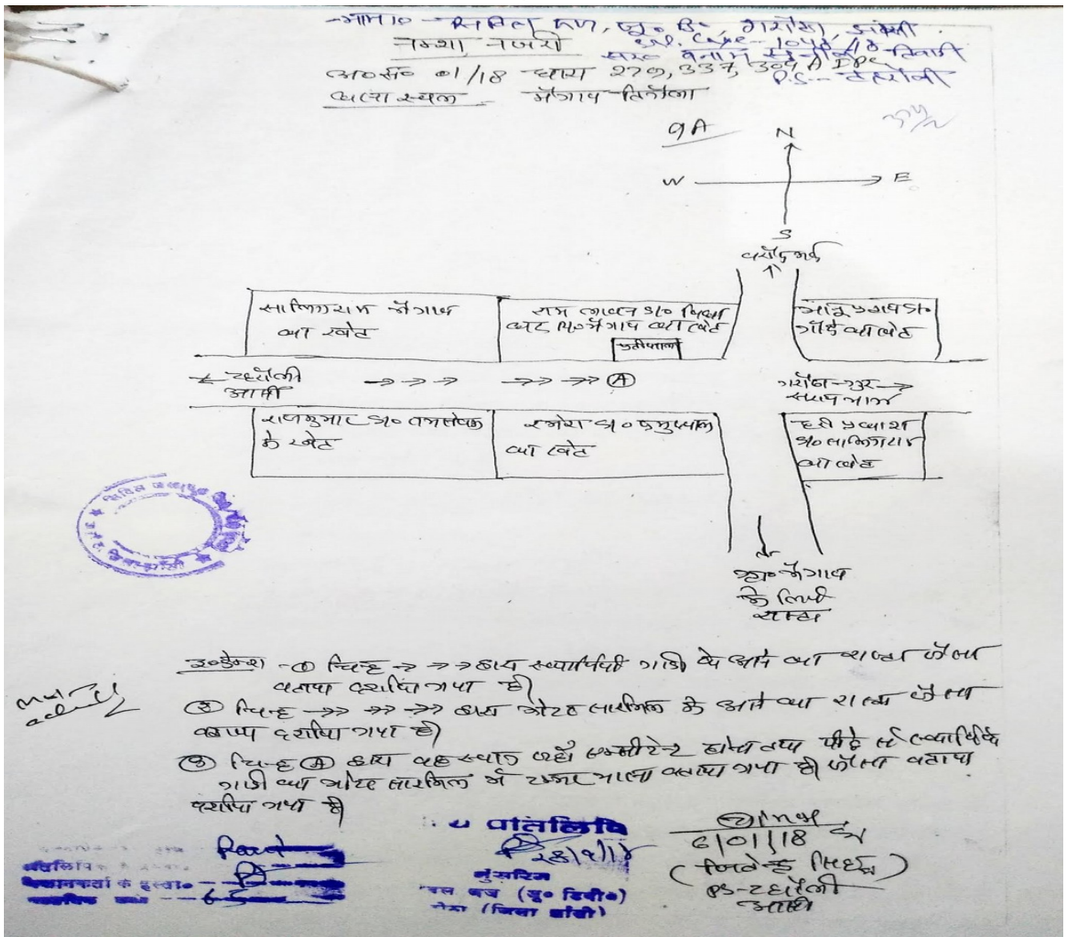

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति में दिनाँक 16.12.2017 को संबंधित चिकित्सक द्वारा मृतक सौरभ गुप्ता का पोस्टमॉर्टम किया जाना अंकित किया है, जिसमें संबंधित चिकित्सक ने मृतक की चोटों का विवरण अंकित किया है, जिनका दुर्घटना में आना स्वाभाविक है तथा मृत्यु का कारण एन्टीमॉर्टम हेड इंजरीज आने से कोमा के कारण होना अंकित किया है। प्रपत्र संख्या 32सी1/1 लगायत 32सी1/3 मृतक सौरभ गुप्ता के पंचायतनामा की छाया प्रति में भी मृतक सौरभ गुप्ता की मृत्यु सड़क दुर्घटना में आयी चोटों के कारण होना दर्शित है। विधि व्यवस्था **अर्चित सैनी व अन्य बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य(09.02.2018-S.C):** **MANU/SC/ 0105/2018** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले में इतनी यात्रा की

आवश्यकता नहीं है जितनी कि एक आपराधिक मुकदमें में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिये संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।

10. विपक्षी सं. 3 नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि. ने अपने जवाबदावा में यह कथन किया है कि याचिका के पढ़ने से स्पष्ट है कि मोटरसाईकिल चालक बिना आने जाने वाले वाहन की परवाह किये अचानक रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर तेजी से मोटर साईकिल चलाकर निकला तभी दुर्घटना होना संम्भव है अन्यथा नहीं। इस तरह पूरी गलती मोटर साईकिल चालक की है। अल्टरनेटिव में सह नैग्लीजेंस का केस है। विपक्षी सं. 3 नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि. के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस समाचार पत्र प्रपत्र सं. 41 सी1/13 मे छपी इस खबर कि दुर्घटना आमने-सामने की है को आधार बनाते हुये योगदायी उपेक्षा का तर्क दिया है किंतु प्रथमतः तो समाचार पत्र की खबरें बगैर संवाददाता की परीक्षा के ग्राह्य नही है और द्वितीयतः स्कार्पियो का चालक परीक्षित नही हुआ है। समाचार पत्र मृतक को इकलौता बतलाता है जबकि मृतक दो भाई थे। जाहिर है समाचार पत्र की खबरों पर भरोसा नही किया जा सकता है। वाहन स्वामी व चालक ने अपने जवाबदावे मे दुर्घटना से ही इंकार कर दिया है और कोई ऐसा साक्ष्य भी पत्रावली पर नही है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि मोटरसाइकिल चालक की भी इस दुर्घटना में योगदाई उपेक्षा थी, अतः बीमा कंपनी के इस तर्क को अस्वीकार किया जाता है। चूँकि यह दुर्घटना आमने-सामने की टक्कर की नहीं पाई गई है, अतः आमने-सामने की टक्कर से संबंधित बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाएं बिजॉय कुमार डूगर प्रति विद्याधर दत्ता और अन्य 2006 (2) AWC 1456 (SC) व कमलेश और अन्य प्रति अतर सिंह और अन्य 2015 (4) T.A.C. 611 (SC) का कोई औचित्य नहीं बनता है। बीमा कम्पनी के अन्वेषक ने अपनी रिपोर्ट मे यह अंकित किया है कि दुर्घटना स्थल पर कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं मिला परन्तु कुछ लोगों ने मौखिक घटना की पुष्टि की है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि दिनाँक 15.12.2017 को जब याचीगण के पति, पुत्र एवं भाई मोटर साईकिल से झाँसी गरौठा घर वापस आ रहे थे, जैसे ही वह टहरौली गुरसरॉय मार्ग पर मैगॉव तिगैला के पास पहुँचे तो पीछे से स्कॉर्पियो नंबर UP 93 W 0371 के चालक तेजी व लापरवाही से चलाते हुये आया और मृतक की मोटरसाईकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे सौरभ गुप्ता व दीपेन्द्र गम्भीर रूप से घायल हो गये तथा दौरान उपचार सौरभ गुप्ता की मृत्यु हो गयी एवं कथित घटना में तथाकथित मोटरसाईकिल चालक/मृतक सौरभ गुप्ता की योगदायी उपेक्षा एवं लापरवाही नहीं है। **तदनुसार वाद बिन्दु सं. 1 सकारात्मक** रूप से व **वाद बिन्दु सं. 4 नकारात्मक** रूप से निर्णीत किये जाते हैं।

12. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2</u>**

यह वादु बिन्दु इस आशय का है कि क्या बावक्त घटना उक्त वाहन मोटर साईकिल नं. UP 93 AL 3508 के चालक के पास वैध प्रभावी डी.एल. था ? यदि हॉ तो उसका प्रभाव? इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याचीगण अथवा विपक्षीगण की ओर से मोटरसाईकिल नं. UP 93 AL 3508 के चालक के चालक लाईसेंस की प्रति दाखिल नहीं की गयी है और न ही इस संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य ही दिया गया है। तदनुसार यह वाद बिन्दु नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

13. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>**

वाद बिंदु संख्या तीन स्कॉर्पियो के बीमित होने के संबंध में है। याचीगण की ओर से 11 सी1 व विपक्षीगण सं. 1 व 2 की ओर से 23 सी1 वाहन इंजिन नं. 14128 चेसिस नं. 24935 की बीमा पॉलिसी की छाया प्रतियाँ व स्कॉर्पियो नंबर UP 93 W 0371 के पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रतियाँ क्रमशः 10 सी1 व 22 सी1 प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त बीमा पॉलिसी व पंजीयन प्रमाण की छाया प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि बीमा पॉलिसी में उक्त वाहन दिनाँक 01.05.2017 से 30.04.2018 तक बीमित होना दर्शित है। अतः बावक्त घटना उक्त वाहन स्कॉर्पियो नंबर UP 93 W 0371 विपक्षी सं. 3 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से बीमित थी। बीमा कम्पनी ने इस तथ्य को अपनी अन्वेषण आख्या मे भी स्वीकार किया है। तदनुसार **वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक** रूप से निर्णीत किया जाता है।

14. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5</u>**

प्रस्तुत याचिका में प्रश्नगत स्कॉर्पियो नंबर UP 93 W 0371 के चालक के चालक लाईसेंस के सम्बन्ध में कोई वाद बिन्दु निर्मित नहीं हुआ है। किन्तु याचीगण व विपक्षीगण की ओर से चालक

सुनील तिवारी विपक्षी सं. 2 चालक की चालन अनुज्ञप्ति क्रमशः 12 सी1 व 24 सी1 दाखिल की गई है, जिनके अनुसार चालक सुनील तिवारी दिनाँक 30.11.2013 से 29.11.2033 तक एल.एम.वी. वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनाँक 15.12.2017 की है। आरोप पत्र चालक सुनील तिवारी के विरुद्ध प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बावक्त घटना उक्त वाहन स्कॉर्पियो नंबर UP 93 W 0371 के चालक सुनील तिवारी विपक्षी सं. 2 वैध प्रभावी डी.एल. था।

15. वाद बिन्दु सं. 1 व 4 के निस्तारण से यह साबित है कि दिनाँक 15.12.2017 को जब याचीगण के पति, पुत्र एवं भाई मोटर साईकिल से झाँसी गरौठा घर वापस आ रहे थे, जैसे ही वह टहरौली गुरसरॉय मार्ग पर मैगॉव तिगैला के पास पहुँचे तो पीछे से स्कॉर्पियो नंबर UP 93 W 0371 के चालक तेजी व लापरवाही से चलाते हुये आया और मृतक की मोटर साईकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिसके कारण सौरभ गुप्ता की मृत्यु हो गयी एवं कथित घटना में तथाकथित मोटरसाईकिल चालक/मृतक सौरभ गुप्ता की योगदायी उपेक्षा एवं लापरवाही नहीं है। याचीगण ने अपनी याचिका मे यह कथन किया है कि मृतक उनके पारिवार में एक मात्र कमाने वाला था तथा पी.डब्लू.1 के रूप में याची सं. 1 ने यह कथन किया है कि यदि उसके पति जीवित रहते तो और अच्छी तरह से उनका भरण पोषण करते। अतः याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब प्रश्न यह है कि याचीगण किस विपक्षी से और कितनी कितनी क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी है ? क्योंकि स्कार्पियो चालक की चालन अनुज्ञप्ति वैध एवं प्रभावी पाई गई है, अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी संख्या 1 व 2 का संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से है और क्योंकि दुर्घटना के समय स्कॉर्पियो विपक्षी संख्या 3 से बीमित थी अतः क्षतिपूर्ति को इंडिमनिफाई करने का दायित्व विपक्षी संख्या तीन पर है।

16. **क्षतिपूर्ति की गणना-**

याचीगण ने याचिका में रेलवे मे प्वाइंटमैन के पद पर ₹30,000 वेतन प्रतिमाह प्राप्त होने का उल्लेख किया है। पी.डब्लू 1 के रूप में याची, जो कि एक हितबद्ध साक्षी है, ने उक्त कथनों का समर्थन किया है। याचीगण की ओर से पत्रावली पर डी.आर.एम. द्वारा सत्यापित सेवा पुस्तिका व ड्राफ्ट सैलरी बिल नवंबर-2017 प्रपत्र संख्या 35 सी1 लगायत 36 सी1/6 दाखिल किये गये हैं, जिनके संबंध में बीमा कंपनी की अन्वेषण आख्या में कथन किया गया है कि मृतक सौरभ गुप्ता के वेतन पर्ची से संबंधित जानकारी जन सूचना के माध्यम से माँगी गई परंतु कार्यालय द्वारा दिनाँक 02.03.2020 को भेजे गए उत्तर में माँगी गई जानकारी प्राप्त नहीं कराई गई है। जन सूचना का जवाब मूल रूप से आख्या के साथ संलग्न है जबकि पत्रावली पर दाखिल की गई आख्या के साथ ऐसा कोई जवाब संलग्न नही पाया गया है। यद्यपि दिनाँक 26.02.2020 का जन सूचना का यह अन्य जवाब अवश्य संलग्न किया गया है कि श्री सौरभ गुप्ता सीनियर ए.पी.एम. के पद पर एरच रोड स्टेशन पर कार्यरत थे जिनकी रेल सेवा के दौरान दिनाँक 16.12.2017 को मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती सोनम गुप्ता को दयाधार पर नियुक्ति दी गई है जिसके संबंध में बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवस्था **भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड प्रति कांता अग्रवाल 2009 (1) JCLR 622 (SC)** प्रस्तुत कर विश्वास व्यक्त किया गया है और तर्क दिया गया है कि दयाधार पर नियुक्ति के लाभ को क्षतिपूर्ति की धनराशि से घटाया जाना चाहिए। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से मैं सहमत नही हूँ क्योंकि भाखड़ा व्यास उक्त की विधि व्यवस्था में अपकारी द्वारा ही दयाधार पर नियुक्ति दी गई थी जबकि इस प्रकरण में अपकारी द्वारा नहीं बल्कि याची संख्या 1 को रेलवे द्वारा दयाधार पर नौकरी प्रदान की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भाखड़ा ब्यास की उक्त विधि व्यवस्था से विभेद करते हुए विधि व्यवस्था **National Insurance Co. Ltd. vs. Rekhaben and Ors. (07.03.2017 - SC) : MANU/SC/0604/2017** मे यह धारित किया गया है कि -

> ***The income of the deceased or the injured, which the Claimants have lost due to the inability of the deceased or the injured to earn or to provide for them is a relevant factor which is always taken into consideration. It could not be that the one liable to compensate the Claimants for the loss of income due to the accident, can have his liability reduced by the amount which the claimants earn as a result of compassionate appointment offered by another viz. the employer. [12]***
>
> ***It is difficult to see how the owner can contend that the compensation which he is liable to pay for causing the death or disability should be reduced because of compassionate employment offered by another. In***

> *any case, it is difficult to determine how much the person offered compassionate appointment would earn over the period of employment which is not certain, and deduct that amount from the compensation. [13]*
> *The Claimants were offered compassionate employment. The claimants were not offered any sum of money equal to the income of the deceased. They were not offered any sum of money at all. They were offered employment and the money they receive in the form of their salary, would be earned from such employment. The loss of income in such cases cannot be said to be set off because the claimants would be earning their living. Therefore, the amount earned by the Claimants from compassionate appointments cannot be deducted from the quantum of compensation receivable by them. The financial benefit of the compassionate employment is not liable to be deducted at all from the compensation amount which is liable to be paid either by the owner/the driver of the offending vehicle or the insurer. [18] and[19]*

पी.डब्लू.1 ने कथन किया है कि उसके पति स्थायी सेवा मे थे व आयकर दाता नहीं थे। ड्राफ्ट सैलेरी बिल में नेशनल पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम तथा ऋण की ही कटौती हैं। क्षतिपूर्ति की गणना में वेतन में से आयकर की कटौती के पश्चात देय वेतन संज्ञान में लेना होता है जबकि इस प्रकरण में आयकर की कोई कटौती नहीं है। अतः नवंबर 2017 के ड्राफ्ट सैलरी बिल में दर्शित कुल वेतन ₹24060 प्रतिमाह आय के रूप में गणना में ली जा रही है। पी.डब्लू.1 ने अपनी, अपने 70 व 73 वर्षीय सास ससुर व 38 वर्षीय अविवाहित ननद की निर्भरता मृतक पर बतायी है। चूँकि याची संख्या 2 , 3 व 4 के एक अन्य पुत्र व भाई है अतः मेरे विचार से 1/3 की स्वयं के खर्च के मद मे कटौती न्यायोचित होगी।

17. याचीगण ने याचिका में मृतक की उम्र 26 वर्ष अंकित की है। पी.डब्लू.1 के रूप में याची ने उक्त कथन का समर्थन किया है। मृतक की सेवा पंजिका पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें उसकी जन्म तिथि 01.7.1989 अंकित है। घटना दिनाँक 15.12.2017 की है। इस परिस्थिति में मृतक की आयु दुर्घटना के समय लगभग 28 वर्ष 5 माह 14 दिन अवधारित की जाती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017- SC) : MANU/ SC/ 1366/ 2017 के अनुसार 17 का गुणक, 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 50% भविष्य में प्रत्याशा की वृद्धि, मृतक के स्वयं के खर्च पर 1/3 भाग की कटौती, याचीगण के पुत्र एवं भाई की मृत्यु होने के कारण संपदा की क्षति के लिए ₹15,000, दाह संस्कार के लिए ₹15,000 व वैवाहिक सहचर्य के मद मे ₹40,000 निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= मासिक आय x वर्ष के माह	24060	12	288720
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)		50	144360
स्वयं पर खर्च (भाग में)		3	144360
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)			288720
गुणक		17	4908240
साहचर्य की क्षति		40000	4948240
संपदा की क्षति		15000	4963240
अंतिम संस्कार पर खर्च		15000	**4978240**
इलाज पर हुए व्यय के मद मे			**4978240**
क्षतिपूर्ति			**4978240**
मो. साइ. चालक की योगदाई उपेक्षा (प्रतिशत में)		**0**	**0**
ट्रकस्कार्पियोचालक की उपेक्षा (प्रतिशत में)		**100**	**4978240**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹49,78,240 आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। याची सं. 1 लगायत 4 के मध्य क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 50, 20, 25 व 5 प्रतिशत भाग का बंटवारा न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 - SC) : MANU/SC/0321/2019 के

आलोक मे क्षतिपूर्ति की 75% धनराशि की त्रिवर्षीय एन्युटी की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार यह वाद बिंदु निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याची की याचिका आंशिक रूप से विपक्षी सं. 1 व 2 के विरुद्ध संयुक्त एवं पृथक-पृथक दायित्व के अंतर्गत प्रतिकर ₹48~~8~~[9],78,240 (~~अड़तालीस~~उनचास लाख अठत्तर हजार दो सौ चालीस) हेतु स्वीकार की जाती है। निर्धारित प्रतिकर पर 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक भी देय होगा। विपक्षी सं. 3 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड विपक्षी सं. 1 व 2 के विरुद्ध निर्धारित उक्त प्रतिकर मय ब्याज के क्षतिपूर्ति करेगा। विपक्षी संख्या 3 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वे याचीगण को निर्णय के दिनाँक से 45 दिन के अंदर प्रतिकर की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दें। धनराशि अंतरण मे याचिका संख्या व नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगाा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी।

उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. 1 लगायत 4 क्रमशः 50, 20, 25 व ~~10~~[5] प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। प्रतिकर की धनराशि में से प्रत्येक याची के 75-75 प्रतिशत भाग की 3 वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी व प्रतिकर की शेष 25-25 प्रतिशत की धनराशि प्रत्येक याची आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेंगे ।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनाँक 18.01.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा आज हस्ताक्षरित एवम् दिनाँकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक 18.01.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

Typing error corrected vide order
dated 21.12.2021

PO, MACT, JHANSI
21.12.2021